हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

बुलेटिन भाग-2

(संसदीय एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित सामान्य सूचना)
वीरवार, 4 जनवरी, 2018/14 पौष, 1939 (शक्)

संख्याः1 **सदन में बैठने की व्यवस्था**

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सदन में प्रत्येक सदस्य के बैठने के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। अतः निवेदन है तद्नुरूप स्थान ग्रहण करने की कृपा करें।

संख्याः2 **शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया**

सदन में सचिव द्वारा सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सचिव, विधान सभा, के मेज की **दायीं ओर** जाएंगे तथा वहां निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें शपथ अथवा प्रतिज्ञान के प्ररूप की प्रति सौंपी जाएगी। तदोपरान्त सदस्य अध्यक्ष के पास जाकर शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे तथा अध्यक्ष का अभिवादन करने के उपरान्त **अध्यक्ष के आसन के पीछे की ओर से** होकर सचिव की **मेज की बांई ओर पहुंचेगे** और वहां वह **सदस्यों की नामावली व शपथ या प्रतिज्ञान प्ररूप** में हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात् सदस्य पुनः अपना स्थान ग्रहण करेंगे।

संख्याः 3 **पहचान पत्र आदि के लिए फोटो लेने की व्यवस्था**

सभी माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि पहचान पत्र आदि के लिए फोटो खींचने की व्यवस्था हिमाचल प्रदेश विधान सभा, तपोवन, धर्मशाला के परिसर में ही की गई है। अतः उनसे सादर निवेदन है कि वे अपना फोटो अवश्य खिंचवा लें।

संख्याः 4 **संसदीय कागजात/ प्रपत्र**

समस्त माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान समारोह के उपरान्त संसदीय कागजात/प्रपत्रों आदि को भरने हेतु हिमाचल प्रदेश विधान सभा, तपोवन, धर्मशाला में सत्तापक्ष/ विपक्ष गैलरी में पधारने की कृपा करें।

संख्याः5 **सभा की भाषा**

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 329 के अनुसार सभा की कार्यवाही का संचालन हिन्दी भाषा में होगा। लेकिन यदि कोई सदस्य अध्यक्ष से अनुरोध करें तो वह अंग्रेजी भाषा में भी अपना भाषण दे सकता है।

संख्याः6 **सत्र के दौरान खान-पान की व्यवस्था**

सत्र के दौरान दोपहर के भोजन तथा चाय आदि की व्यवस्था रियायती दरों पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा विधान सभा परिसर में ही उपलब्ध होगी।

संख्याः7 **मोबाईल फोन लाने पर प्रतिबंध**

नियमों के अनुसार कोई भी माननीय सदस्य मोबाईल फोन लेकर सभा-मण्डप में प्रवेश नहीं कर सकता है। अतः निवेदन है कि कृपया इस नियम का पालन करें।

संख्याः 8 **यूको बैंक, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, में खाता खुलवाना**

विधान सभा सचिवालय से माननीय सदस्यों को देय वेतन, भत्ते व अन्य बिलों की अदायगी विधान सभा परिसर शिमला में स्थित यूको बैंक से की जाती है। अतः माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यूको बैंक विधान सभा शाखा शिमला में अपना खाता तत्काल खुलवा लें।

संख्या : 9 **सदस्यों के वाहन के लिए शिमला में प्रतिबंधित तथा सील्ड मार्गों के लिए परमिट की व्यवस्था**

जिन माननीय सदस्यों के पास अपनी गाड़ी है वे रजिस्ट्रेशन स्टीफिकेट की छाया प्रति जमा करवाकर परमिट प्राप्त कर सकते हैं।

संख्या:10 **उपस्थिति रजिस्टर**

संविधान की आवश्यकता के मद्देनजर, सत्र के दौरान सभा की पक्ष व विपक्ष की लॉबियों में उपस्थिति रजिस्टर रखें होगें, जिन पर माननीय सदस्यगण अपने नाम के आगे हस्ताक्षर करके अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

सचिव,
हि0प्र0 विधान सभा ।